प्रेस नोट
दिनांक 06.02.2025

‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के तहत थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 97 माल मुकदमाती का विनिष्ठीकरण कराया गया सकुशल सम्पन्न–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 97 माल मुकदमाती का विनिष्ठीकरण सकुशल सम्पन्न कराया गया।

आज दिनांक 06.02.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा स्थानीय प्रांगण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय व आबकारी निरीक्षक श्रीमती वंदना केशरवानी की मौजूदगी में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 97 माल मुकदमाती का थाना प्रांगण में एक किनारे गढ्डा खुदवाकर विनिष्ठीकरण की कार्यवाही की गयी।

माल निस्तारण के समय मौजूद अधि0/कर्मचारीगण–

01. प्र0नि0 खरगूपुर कमलाकान्त त्रिपाठी।
02. व0उ0नि0 पंकज कुमार।
03. उ0नि0 चन्द्रदीप मिश्रा।
04. उ0नि0 अखिलेश यादव।
05. हे0मु0 सुशील कुमार गौतम।
06. हे0का0 शिवशंकर सोनकर।

प्रेस नोट
दिनांक 06.02.2025

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 19,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 महोदया नम्रता अग्रवाल द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त रमेश पुत्र बाबादीन नि0 तेलियनपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2020 को अभियुक्त रमेश पुत्र बाबादीन द्वारा वादिनी नन्दिनी पत्नी सत्यपाल निवासिनी ग्राम तेलियनपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के पति को गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। तत्कालीन विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 महोदया द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० **19,000/-** रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रमेश पुत्र बाबादीन नि0 तेलियनपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-372/2020, धारा 323,324,504,506,307 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.02.2025</u>

<u>बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–</u>

आज दिनांक 06.02.2025 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशलं मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना को0 देहात, थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत संचालित दुकानों, होटलों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। अभियान के दौरान 02 बच्चों से 02 सेवा नियोजक श्रम कराते हुए पाये गए श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा उक्त सेवा नियोजकों के विरूद्ध कुल 02 निरीक्षण टिप्पणी काटी गयी।
<u>इस दौरान थाना ए0एच0टी0 से प्रभारी नि0 लाल बिहारी, मुख्य आरक्षी गउचरन, का0 चन्द्रशेखर यादव मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>